उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग—2

संख्या–ए–2–2574/दस–98–24(8)/92

लखनऊ, 2 दिसम्बर, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या–ए–1–1270/67/दस दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित शासनादेश संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92, दिनांक 7 नवम्बर, 1992 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय सचिवालय के समस्त विभागों को आवश्यकतानुसार एक साल तक अस्थायी पदों की अवधि बढ़ाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिनिहित करते हैं :–

(क) अस्थायी पदों की निरन्तरता एक समय में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ही जारी की जायेगी जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष में फरवरी के अन्तिम दिन से आगे की तिथि की नहीं होनी चाहिए।

(ख) यदि एक बार ऐसे पदों को वित्त विभाग की सहमति से या तो सृजित किया गया है या बाद को उनकी अवधि बढ़ाई गयी है और उन्होंने पूर्व स्वीकृति में उन अस्थायी पदों को और आगे अवधि बढ़ाने के संबंध में कोई शर्त न लगाई हो। यदि ऐसी कोई शर्तें लगायी गयी हैं तो वित्त विभाग की सहमति वांछनीय होगी।

(ग) यदि इस प्रयोजन के लिए बजट में निधि उपलब्ध है या यदि बजट नहीं पारित हुआ है तो आवश्यक प्राविधान के लिये कार्यवाही कर ली गयी है।

2—उक्त प्रतिनिधायन निःसंवर्गीय पदों पर लागू नहीं होगें। प्रशासकीय विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निःसंवर्गीय पदों को चालू रखने के औचित्य का पूर्ण परीक्षण करेंगे। यदि उक्त निःसंवर्गीय पद की आवश्यकता का औचित्य प्रशासकीय विभाग पाते हैं तो उसकी निरन्तरता जारी करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव तथा मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही निरन्तरता जारी की जायेगी जो संबंधित वित्तीय वर्ष में फरवरी माह के अन्तिम दिन तक ही सीमित रहेगी।

3—राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि किसी भी दशा में निःसंवर्गीय पदों को स्थायी न किया जाए और न ही उस पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को स्थायी किया जाए क्योंकि निःसंवर्गीय पदों का सृजन केवल किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है और कार्यविशेष समाप्त होने के उपरान्त उक्त पदों को स्वतः समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

4—यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 में आवश्यक संशोधन यथा समय किए जायेंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–ए–2–2574 (1)/दस–98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

3—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र०, शासन।

4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ए० पी० वर्मा,
अनु सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 154 सा० वित्त—28-1-99—(2124)—1000—कम्प्यूटर/आफसेट।